निग० 274/2019/शहडोल/भू.रा०

न्यायालय में समक्ष सदस्य श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी उम्र 47 वर्ष पिता श्री रामनारायण द्विवेदी, निवासी– ग्राम पचगांव, तहसील सोहागपुर, थाना एवं जिला शहडोल (म.प्र.) —— आवेदक

बनाम

1. बाबूलाल पिता छोट्टन कोल
2. रामलाल पिता छोट्टन कोल, दोनों निवासी– ग्राम अतरिया, थाना शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)
3. मध्य प्रदेश शासन —— अनावेदकगण

अधि० श्री त्रिवेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा पेश दि. 15-2-19

निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल (म.प्र.) राजस्व प्रकरण क्रमांक–196/ बी.121/ 2009–10 निर्णय दिनांक 10.12.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि अनावेदकगणों ने अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में दिनांक 25.06.2010 को ग्राम अतरिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 150/1 रकवा 1.854 हे. आराजी का पट्टा सुरेश शर्मा पिता ज्वाला प्रसाद ब्राम्हण, निवासी वार्ड नम्बर 12 टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास शहडोल, तहसील सोहागपुर के पक्ष में जारी पट्टा को फर्जी पट्टा का उल्लेख कर पट्टा निरस्त किये जाने बावत् एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

2. यह कि अनावेदकगणों के द्वारा आवेदक के संबंध में किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं की गई थी और न ही शिकायती अभ्यावेदन में अनावेदक के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा गया था।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदक को नोटिस जारी किया गया। आवेदक विचाराधीन प्रकरण में उपस्थित होकर एक कानूनी आपत्ति इस आधार की प्रस्तुत किया, कि पट्टा निरस्तगी की कार्यवाही अनावेदकगणों को सक्षम न्यायालय में विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना चाहिये था।

15/2/19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–निग0/274/2019/भू–रा0/शहडोल — जिला–शहडोल

राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी/ बाबूलाल कोल

(1)	(2)	(3)
27.08.19 रीवा कैम्प	प्रकरण प्रस्तुत। उभयपक्ष अनुपस्थित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की अनुपस्थित के आधार पर यह प्रकट होता है, कि आवेदक की रूचि प्रकरण को चलाने में नहीं है। ऐसी दशा में यह प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। दा.द. सदस्य	